न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/178
मुकदमा नम्बर 69/2024

दर्ज दिनांक– 15.05.2024

बिजेन्द्र सिंह पुत्र रिसाल सिंह जाति राजपूत निवासी नीम की ढाणी तन झाझड,तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ

–अनावेदक

वकील आवेदक – श्री संदीप कुमार सैनी
वकील अनावेदक – पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 09.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 48 के अन्तर्गत खसरा नं. 1580 व भूमि खाता सं. नया 164 के अन्तर्गत भूमि ख.नं. 1282 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विजेन्द्रसिंह पुत्र रिसालसिह के स्थान पर बिजेन्द्रसिंह पुत्र रिसालसिंह दुरूस्त कर दर्ज की जावें

प्रकरण मे अनावेदक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक भू.अ./24/2224 दिनांक 27/06/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा, ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 48 के अन्तर्गत खसरा नं. 1580 व भूमि खाता सं. नया 164 के अन्तर्गत भूमि ख.नं. 1282 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विजेन्द्रसिंह पुत्र रिसालसिंह के स्थान पर बिजेन्द्रसिंह पुत्र रिसालसिंह दुरूस्त कर दर्ज किये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner